न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत झुण्डवा

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 56/2018

निर्णय दिनांकः– 15.05.2018

उनवान

गोकल पुत्र राधाकिशन जाति मीना निवासी रोहित तहसील उनियारा जिला टोंक

– प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, तहसील उनियारा मुकाम अलीगढजिला टोंक

–प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भु–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–श्री रामकिशन सैनी वकील प्रार्थी

पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है।

यह कि प्रार्थी के पुश्तेनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 30 आराजी ख0न0 518, 612, 613, 623, 7, 72/1460 कुल किता 6 कुल रकबा 2.70 है0 वाके ग्राम रोहित तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थी के पिता के दो भाई थे, बडा धन्नालाल तथा छोटा राधाकिशन था। धन्नालाल प्रार्थी का ताउ यानी उसके पिता का बडा भाई था। लेकिन राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के पिता के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से प्रार्थी कि पिता राधाकिशन के स्थान पर ताउ धन्नालाल दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थी के पिता का नाम राधाकिशन है। मतदाता सूची, पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा अन्य सरकारी रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम गोकल पुत्र राधाकिशन ही दर्ज है। राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम गोकल पुत्र धन्नालाल दर्ज हो जाने से प्रार्थी अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम गोकल पुत्र धन्नालाल के स्थान पर गोकल पुत्र राधाकिशन शुद्विकरण अंकन करने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण वास्ते सुनवाई राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत झुण्डवा पर रखा गया। प्रार्थी के वकील उपस्थित है। प्रकरण मे पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा से जवाब लिया गया। पेरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर बताया कि प्रस्तुत दस्तावेज व केम्प मे जानकारी करने पर पाया कि प्रार्थी का प्रा0 पत्र स्वीकार योग्य है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 वाके ग्राम रोहित ख0न0 518, 612, 613, 623, 7, 72/1460 कुल किता 6 कुल रकबा 2.70 गोकल पुत्र धन्ना जाति मीना सा0 देह की खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात छाया प्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड मे प्रार्थी गोकल के पिता का नाम राधाकिशन अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत झणुडवा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 15.5.18 के अनुसार भी गोकल के पिता का नाम धन्ना न होकर राधाकिशन है। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा ने भी प्रार्थी गोकल के पिता का नाम धन्नालाल के स्थान पर राधाकिशन किये जाने मे कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुये उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भु–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे आराजी ख0न0 518, 612, 613, 623, 7, 72/1460 कुल किता 6 कुल रकबा 2.70 वाके ग्राम रोहित तहसील उनियारा मे दर्ज गोकल पुत्र धन्नालाल के स्थान पर गोकल पुत्र राधाकिशन अंकित कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 15.5.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कैलाश चन्द गुर्जर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner